जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 21.09.2022

आज दिनांक 21.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा **श्री सर्वेश राय** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 378 / 2022 धारा 376 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता गब्बर उर्फ सीताराम चौहान निवासी बत्सा-बत्सी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग लड़की के साथ दिनांक 20.09.2022 को दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 20.09.2022 को थाना दुधारा पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 21.09.2022 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शम्भूराम, का0 आशुतोष पाण्डेय।

धनघटा पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग के दौरान **जितेन्द्र पुत्र बलारे निवासी कुड़ी बाजार थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर** को एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 546/ 2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा संत कबीर नगर पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता

जितेन्द्र पुत्र बलारे निवासी कुड़ी बाजार थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

- उ0नि0 श्री रामकरन निषाद
- हे0का0 वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3308 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 महिलाओं को पहुँचाया गया अस्पताल- पीआरवी 3308 को थाना महुली अंतर्गत भिनखिनी खुर्द से इवेन्ट संख्या 10444 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 महिलाओं (दुर्गावती पत्नी जगदीश व निशा पत्नी शिवम निवासिनी भिनखिनी खुर्द) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिलाओं को जरिए एम्बुलेंस अस्पताल पहुँचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 गोपाल ठाकुर, हो0चा0 दिलीप चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 103 वाहनो से 100000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 21.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 103 वाहनों से 100000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।